वर्णनकर्ता: इस वीडियो में शरणार्थी दावे की सुनवाई के बारे में उपयोगी जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी और अपडेट हमारी वेबसाइट irb.gc.ca पर उपलब्ध है
संगीत: पूरे वीडियो में पीछे धीमा संगीत चलता है।
वर्णनकर्ता: जब आप कैनेडा में शरणार्थी संरक्षण का दावा करते हैं, तो आप अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये दस्तावेज़ आपकी शरणार्थी सुनवाई में आपके दावे का समर्थन करेंगे। यह वीडियो आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप अपने साक्ष्य कैसे एकत्रित करें और कैनेडा के इम्मिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड के रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न या RPD को कैसे उपलब्ध कराएं। लेकिन आपको यह काम अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले, आइए देखें कि शरणार्थी दावा प्रक्रिया में कौन आपकी मदद कर सकता है। शरणार्थी दावा प्रक्रिया में आपकी सहायता के लिए किसी पेशेवर को नियुक्त करने पर विचार करें। इन पेशेवरों को "काउंसल" कहा जाता है। वे वकील या इम्मिग्रेशन कंसल्टेंट हो सकते हैं। कुछ स्थानों पर, आप नोटरी पब्लिक या पैरालीगल को भी काउंसल के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। यदि आप काउंसल नियुक्त करना चाहते हैं, तो आपको यह काम यथाशीघ्र करना चाहिए। आप अपने काउंसल को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जब तक कि आप अपने प्रांत में लीगल एड एजेंसी से सहायता प्राप्त करने के पात्र न हों। यदि आपके पास काउंसल हैं, तो वे आपकी सुनवाई में आपका प्रतिनिधित्व करेंगे। आपकी सुनवाई से पहले, वे आपके शरणार्थी दावे पर आपसे चर्चा करेंगे और आपको सलाह देंगे कि आपको अपने दावे के समर्थन में क्या साक्ष्य एकत्रित करने चाहिए और क्या प्रस्तुत करने चाहिए। यदि आप किसी मित्र, परिवार के सदस्य या वॉलंटियर को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए कहते हैं, तो वे आपसे कोई शुल्क नहीं ले सकते। इस स्थिति में, व्यक्ति को *नोटिस ऑफ रिप्रेज़ेंटेश विदाउट अ फी और अदर कंसीड्रेशन* (*Notice of Representation Without a Fee or other Consideration)* फॉर्म भरना होगा। आप इस फॉर्म को IRB वेबसाइट के शरणार्थी दावा अनुभाग में फॉर्म के अंतर्गत पा सकते हैं। आपको किसी के द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं का प्रतिनिधित्व करने का अर्थ है कि आपको यह चुनना होगा कि आप क्या साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तथा अपने दावे के समर्थन में क्या तर्क देंगे।

वर्णनकर्ता: जब आपने शरणार्थी संरक्षण के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया था, तो आपने कैनेडा बार्डर सर्विसिज़ एजेंसी या आव्रजन, इम्मिग्रेशन, रेफ्यूजीज़ एंड सिटिज़नशिप कैनेडा के किसी अधिकारी से बात की थी, जिन्होंने यह निर्णय लिया था कि आपका शरणार्थी दावा RPD को भेजे जाने योग्य है या नहीं। यदि आप किसी पोर्ट ऑफ एन्ट्री, जैसे हवाई अड्डा या बार्डर क्रॉसिंग, पर पहुंचे, तो आपको बेसिज़ ऑफ क्लेम फार्म प्रदान किया गया तथा इस भरे हुए फार्म को RPD को भेज दिया गया। यदि आपने शरणार्थी दावा तब किया था जब आप पहले से ही कैनेडा में थे, तो आपने अपना भरा हुआ *बेसिज़ ऑफ क्लेम फॉर्म* इम्मिग्रेशन, रेफ्यूजीज़ एंड सिटिज़नशिप कैनेडा (IRCC) को प्रदान किया था। यदि आपका दावा योग्य था, तो अधिकारी ने आपका फॉर्म RPD को भेज दिया। चाहे आपने शरणार्थी संरक्षण के लिए अपना दावा कहीं भी किया हो, *बेसिज़ ऑफ क्लेम फार्म* का उद्देश्य एक ही है। इसका उपयोग आप अपने शरणार्थी संरक्षण दावे को प्रस्तुत करने के लिए करते हैं।	
वर्णनकर्ता: *बेसिज़ ऑफ क्लेम फार्म* में पूछे गए प्रश्नों का उद्देश्य आपकी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण भागों, आपके जीवन के अनुभवों और कैनेडा में शरणार्थी संरक्षण का दावा करने के आपके कारणों को शामिल करने में आपकी सहायता करना है। RPD आपके दावे के बारे में निर्णय लेने के लिए उस जानकारी का उपयोग करता है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके *बेसिज़ ऑफ क्लेम फार्म* पर सब कुछ पूर्ण, सत्य और सही हो।	

वर्णनकर्ता: अपना *बेसिज़ ऑफ क्लेम फार्म* भेजने के बाद, आपको ऐसे दस्तावेज़ भी भेजने होंगे जो आपके शरणार्थी संरक्षण दावे का समर्थन करें। इन दस्तावेजों को साक्ष्य कहा जाता है। यह संभव है कि आप अपना देश छोड़ने से पहले अपने सभी साक्ष्य, या यहां तक कि कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए हों। लेकिन अब जब आप कैनेडा में हैं, तो अपने साक्ष्य एकत्र करना शुरू करना महत्वपूर्ण है। आपको अपने दावे पर यथाशीघ्र साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, तथा सुनवाई की तिथि से 10 दिन पहले तक साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें। यदि आपको सुनवाई से 10 दिन से कम समय पहले साक्ष्य भेजने की आवश्यकता है, तो आपको अनुमति लेनी होगी। अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती है। आपको *एप्लिकेशन टू सब्मिट लेट डिस्क्लोज़र (Application to submit late disclosure)* भरना होगा, जिसे आप IRB वेबसाइट पर पा सकते हैं। अपने दस्तावेज़ों को पहले भेजने से RPD को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि आपकी सुनवाई कब निर्धारित की जाए या आपका दावा बिना सुनवाई के स्वीकार किया जा सकता है या नहीं।
वर्णनकर्ता: आइए, आपके दावे का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो प्रकार के साक्ष्यों पर करीब से नज़र डालें। एक है आपके देश की परिस्थितियों के बारे में जानकारी और दूसरा है व्यक्तिगत दस्तावेज़।

वर्णनकर्ता: आप एक ऐसे देश के विरुद्ध कैनेडा से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जहां आप कह रहे हैं कि आपको उत्पीड़न का डर है।

आपके दावे का उचित मूल्यांकन करने के लिए, आपके केस में निर्णयकर्ता को आपके देश की स्थितियों के बारे में जानना आवश्यक है। वे "नैशनल डॉक्युमेंटेशन पैकेज" या NDP नामक चीज़ पर विचार करेंगे।

NDP सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों का संग्रह है जो किसी देश की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और मानवाधिकार स्थितियों पर रिपोर्ट करते हैं। हर देश में स्थितियां अक्सर बदलती रहती हैं, इसलिए NDP को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

आपके दावे के लिए नियुक्त मैंबर आपके दावे पर निर्णय लेते समय आपके देश के लिए NDP में दी गई जानकारी को देखेंगे।

आपके लिए IRB की वेबसाइट पर अपने देश के NDP की समीक्षा करना महत्वपूर्ण है।

चूंकि IRB के पास NDP में पहले से ही साक्ष्य मौजूद हैं, इसलिए आपको अपने देश के लिए NDP में पाए गए कोई भी दस्तावेज हमें भेजने की आवश्यकता नहीं है।
हालाँकि, आपके देश के बारे में ऐसे दस्तावेज़ हो सकते हैं जो NDP में शामिल ना हों। यदि आप अपने दावे के समर्थन में ये अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप अधिकतम 100 पृष्ठ भेज सकते हैं। यदि आपका दावा एकाधिक देशों से संबंधित है, तो आप प्रत्येक देश के लिए 100 पृष्ठ प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपके पास किसी देश के लिए 100 से अधिक पृष्ठ हैं, तो आपको *एप्लिकेशन टू सब्मिट वॉलुमिनस डिस्क्लोज़र* (*Application to submit voluminous disclosure)* भरना होगा, जिसे आप IRB वेबसाइट पर पा सकते हैं।

वर्णनकर्ता: कुछ व्यक्तिगत दस्तावेज भी हैं जिन्हें आपको यथाशीघ्र RPD को उपलब्ध कराना ***होगा*** ।

जब आपने कैनेडा में शरणार्थी का दावा किया था, तो आपको अपने *बेसिज़ ऑफ क्लेम* फॉर्म के साथ अपनी पहचान और यात्रा दस्तावेजों की एक प्रति RPD को देनी करनी चाहिए थी। उदाहरण के लिए, वे दस्तावेज जिन पर आपका नाम और जन्मतिथि अंकित हो, जैसे पासपोर्ट, राष्ट्रीय पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सैन्य दस्तावेज, या व्यावसायिक या धार्मिक सदस्यता कार्ड।

यदि आपने अपने *बेसिज़ ऑफ क्लेम फॉर्म* के साथ अपनी पहचान और यात्रा दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध नहीं कराई है, या यदि आपको ये दस्तावेज आपके *बेसिज़ ऑफ क्लेम फॉर्म* जमा करने के बाद प्राप्त हुए हैं, तो आपको तुरंत RPD को एक प्रति भेजनी होगी।

वर्णनकर्ता: पहचान दस्तावेजों के साथ-साथ आप अपने शरणार्थी दावे के समर्थन में अन्य दस्तावेज भी सब्मिट कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, राजनीतिक संगठनों की सदस्यता का प्रमाण, चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट, पुलिस दस्तावेज, व्यावसायिक रिकॉर्ड, समाचार क्लिपिंग या सोशल मीडिया पोस्ट। जो भी आपको लगता है कि आपके दावे का समर्थन करता है।

वर्णनकर्ता: निर्णयकर्ता द्वारा *आपके बेसिज़ ऑफ क्लेम फॉर्म* की समीक्षा करने के बाद, RPD आपसे विशिष्ट दस्तावेज मांग सकता है। आपको इन निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना होगा।

यदि आप पहचान और व्यक्तिगत दस्तावेज या RPD द्वारा आपके दावे के समर्थन में मांगे गए कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो आपको यह बताना होगा कि सुनवाई के समय आपके पास वे दस्तावेज क्यों नहीं हैं। आपको यह भी दिखाना होगा कि आपने उन्हें पाने के लिए उचित प्रयास किए।

वर्णनकर्ता: अब जब आप जानते हैं ***कि क्या*** साक्ष्य एकत्रित करना है, तो आपको यह भी जानना होगा कि RPD को अपना साक्ष्य ***कैसे*** प्रस्तुत करना है।
इसमें छह चरणों का पालन करना होगा। आइये प्रत्येक चरण पर करीब से नज़र डालें।

वर्णनकर्ता: पहला कदम: अपने दस्तावेज़ जमा करने से पहले सुनिश्चित करें कि वे अंग्रेजी या फ्रेंच में हैं। यदि उन्हें किसी अन्य भाषा से ट्रांसलेट करने की आवश्यकता हो, तो ट्रांसलेटर की डेक्लेरेशन और मूल दस्तावेजों की प्रतियां शामिल करें।

वर्णनकर्ता: दूसरा कदम: अपने सभी दस्तावेजों को एक साथ रखें और पृष्ठों को क्रम से क्रमांकित करें, फिर एक कवर पेज जोड़ें। IRB के पास *लिस्ट ऑफ क्लेमेंट्स डॉक्युमेंट्स* नामक एक फॉर्म होता है, जिसका उपयोग आप अपने कवर पेज के रूप में कर सकते हैं।

आप इस फॉर्म को IRB वेबसाइट के शरणार्थी दावा अनुभाग में फॉर्म के अंतर्गत पा सकते हैं।

आप फॉर्म को ऑनलाइन भरकर प्रिंट कर सकते हैं, या इस फॉर्म को उदाहरण के रूप में उपयोग करके अपना स्वयं का कवर पेज बना सकते हैं।

वर्णनकर्ता: तीसरा कदम: कवर पेज सहित अपने संपूर्ण दस्तावेज़ पैकेज की प्रतियां बनाएं। यह महत्वपूर्ण है कि आप RPD को भेजे जाने वाले सभी दस्तावेजों की एक प्रति अपने पास रखें ताकि आप अपनी सुनवाई के दौरान उनका संदर्भ ले सकें।

वर्णनकर्ता: चौथा कदम: हमारी वेबसाइट पर बताए गए तरीकों में से किसी एक का उपयोग करके अपने दस्तावेजों की एक प्रति RPD को सब्मिट करें। हम आपको माई केस पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह देखने के लिए कि क्या यह आपके लिए उपलब्ध है, IRB वेबसाइट पर जाएं।
वर्णनकर्ता: पांचवां कदम: कुछ केसों में, मिनिस्टर काउंसल सुनवाई में भाग लेते हैं। यह वह व्यक्ति नहीं है जिसे आपने काउंसल के रूप में नियुक्त किया होगा। मिनिस्टर काउंसल कैनेडा बॉर्डर सर्विसिज़ एजेंसी या इम्मिग्रेशन, रेफ्यूजीज़ एंड सिटिज़नशिप कैनेडा के लिए काम करता है और मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सेफ्टी और/या मिनिस्टर ऑफ इम्मिग्रेशन, रेफ्यूजीज़ एंड सिटिज़नशिप का प्रतिनिधित्व करता है। यदि मिनिस्टर काउंसल इसमें भाग लेने का निर्णय लेते हैं, तो वे आपको *नोटिस ऑफ इंटरवेंशन* भेजकर सूचित करेंगे। मिनिस्टर काउंसल आपके और RPD के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करके लिखित रूप से भाग ले सकते हैं, या वे आपकी सुनवाई में उपस्थित होकर आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। याद रखें, यदि मिनिस्टर काउंसल भी इसमें भाग लेता है, तो भी RPD मैंबर आपके दावे पर निर्णय लेता है। आपको यह नोटिस आपकी सुनवाई से 10 दिन पहले मिल जाना चाहिए। उनका पता उस नोटिस पर होगा। यदि मिनिस्टर काउंसल आपकी सुनवाई में भाग ले रहे हैं, तो आपको अपने साक्ष्य की एक प्रति उन्हें भेजनी होगी तथा RPD को बताना होगा कि आपने ऐसा किया है।
वर्णनकर्ता: और अंतिम कदम छठा है: अपनी सुनवाई में अपने सभी दस्तावेज, प्रतियां और मूल प्रतियाँ सहित, लेकर आएं। ये वे छह कदम हैं जो आपको IRB के रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न में अपने दस्तावेज जमा करते समय उठाने होंगे।
वर्णनकर्ता: शरणार्थी दावा प्रक्रिया की अप टू डेट जानकारी के लिए, IRB की वेबसाइट पर जाएं या सामान्य पूछताछ के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1-833-931-5121 पर कॉल करें।

वर्णनकर्ता: आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमारे *कॉन्टैक्ट अस* पेज पर भी जा सकते हैं, जहां आपको यह जानकारी मिलेगी कि दस्तावेज कहां जमा करें और यदि आपके कोई प्रश्न हों तो हमसे कैसे संपर्क करें।